MR. SPEAKER : Let us not have a debate on every point that comes before the House. Now, calling attention. Mr. Joshi.

12.14 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

MYSORE-MAHARASHTRA BORDER DISPUTE

श्री एस० एम० जोशी (पूना) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"सीमा विवाद के हल के लिए मैसूर और महाराष्ट्र सरकारों को प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये कथित सुझावों और दोनों सरकारों द्वारा उनकी कथित स्वीकृति"

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : Mr. Speaker, Sir, the Mysore-Maharashtra border dispute has been with us for a very long time. Many efforts to find an agreed solution to this dispute did not succeed and finally a Commission was appointed to go into this matter in the hope that its recommendations would provide a satisfactory basis for a solution. Unfortunately when the recommendations were published, they did not evoke the necessary measure of acceptability. On examining the Commission's Report we came to the provisional conclusion that apart from implementing the positive recommendations of the Commission regarding transfer of territories from one State to another, it would be necessary to make some adjustments so that the entire problem could be solved.

2. However, before giving further thought to the matter Government considered it desirable that the Chief Ministers concerned should be consulted. Their immediate reaction has not been encouraging. In a matter like this there has to be a constructive approach and Government intend to continue their efforts to find a satisfactory solution to the problem.

श्री एस० एम० जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने पहले ही अपने वाक्य में कहा कि :

"The Mysore Maharashtra border dispute has been with us for a very long time."

इस तरह के जो बड़े नाजुक सवाल है वह बहुत दिनों तक पड़े रहते हैं, सालों तक पड़े रहते हैं और ऐसे सवालों का फैसला तब होता है जब कोई न कोई अनशन कर के मर जाय या दूसरा कुछ हो। इस तरह की घटनायें होंगी या गोली चलेगी तभी यह गवर्नमेंट हिलती है। मैं आप को बतलाना चाहता हूं, कि पिछले साल बम्बई में जो कुछ हुआ वह इसी सवाल को ले कर हुआ था और आज भी बम्बई शहर बन्द होने जा रहा है। मुझे डर लग रहा है कि वहां कोई अवांछनीय चीज न हो क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि इस रीति से हमारा देश तरक्की कर सकता है। मेरे मित्र मुझ से पूछ रहे थे कि बम्बई में जब यह दुःस्थिति है तब तुम लोग यहां क्यों हो ? मैं ने कहा कि मैं समझता हूं कि लोकतन्त्रात्मक तरीके से इस सवाल को हल करना चाहिये और इसी में मेरा विश्वास है। इस लिये मैं इस चीज को उठाने के लिये यहां आया हूं।

मैं पूछना चाहता हूं कि यह सवाल कितने दिनों से पड़ा हुआ है, और बार बार इस सम्बन्ध में इस सदन में आश्वासन दिया गया था या नहीं ? मेरा इस सवाल के साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध रहा है, कुछ मेरी भी जिम्मेदारी है। इसी सवाल को प्राथमिकता दे कर मैं निर्वाचित हो कर यहां आया हूं। इस सदन में कई बार इस की चर्चा हुई है पर मैं ने इस पर बोलने की धृष्टता नहीं की क्योंकि मैं जानता हूं कि यह बहुत ही नाजुक सवाल है। मगर जब हुकूमत मार पीट गोली काण्ड के सिवा कुछ करना ही नहीं

जानती तब हम क्या करेंगे ? क्या उसी रास्ते से जाने के लिये अब सरकारह में बाध्य करना चाहती है ? मैं एक बात साफ़ करना चाहता हुं ताकि उन लोगों में कोई गलतफहमी न हो जो महाराष्ट्र के हैं।

यह पुरानी समस्या हैं इस में दो राये नहीं हैं। इस समस्या को राजनीतिक लोगों ने हथियाने की शुरूआत की उस के पहले साहित्यक लोगों ने इस को उठाया था। उन लोगों का कहना है कि यह हमारे सांस्कृतिक जीवन का सवाल हैं। इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र की ओर से कोई प्रादेशिक यानी टैरीटोयिल महत्वाकांक्षा नहीं है। महाराष्ट्र को ज्यादा इलाका दिलाने की हमारी इच्छा नहीं है। मैं समझता हुं कि अगर वहां के लोगों को तसल्ली होती है, आप उन लोगों को सन्तोष देते हैं तो हमें भी सन्तोष है। सन् 1956 में यह सवाल उठा था, उस के आज कितने साल हो गये ? चौदह साल हो गये। इन चौदह सालों में इस का हल नहीं निकला। कितने लोग मारे गये, कितने लोगों पर गोली चली। इतना होते हुए भी कोई हल नहीं निकल सका है। मैं कहता हूं कि वहां के लोग वर्तमान परस्थिति को नहीं मानते। लोगों की इच्छा हम नहीं मानेंगे तो हम कैसे डिमोक्रेट कहलायेंगे ? जब से यह सवाल उठा, तीन चुनाव 1957, 1962 और 1967 के हुए और इसी सवाल को ले कर महाराष्ट्र एकीकरण समिति के लोगों निर्वाचित हो चुके है। ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ताल्लुका पंचायत जहां जहां भी चुनाव हुए हैं, जहां लोगों ने कहा कि इस समस्या को हल किया जाय वहां महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उम्दीदवार जीते हैं।

जैसी हमारे मराठी-भाषी लोगों की दुखद स्थिति है। वैसी ही महाराष्ट्र में जो कन्नड़-भाषी लोग हैं उन की दुःखद स्थिति है। इस लिये तकरीबन 400 गांव को यूनिलैटरली अपनी तरफ से मैसूर में डालने का हम ने एलानिया सुझाव दिया था ताकि जैसी हमारे लोगों की दुःखट स्थिति है वैसी उन की न हो। इस से साबित हो जायेगा कि हमारी कोई महत्वाकाक्षा ऐसी नहीं है कि हर महाराष्ट्र को बड़ा बनाना चाहते हैं। हमारे आदरणीय मित्र श्री हनुमन्तया आज यहां मही हैं। शायद उस दिन उन्होंने मजाक में कहा था कि महाराष्ट्र का समाधान तब होगा जब पूरा भारत महाराष्ट्र में शामिल होगा।

AN HON. MEMBER : True.

श्री एस० एम० जोशी : हू आप के दिमाग में हो सकता है, हमारे दिमाग में यह नहीं है। मैं भारतीय हूं। कन्नड़ भाषी भाइ भी भारतीय है। उन के भविष्य को भीहम ठीक करना चाहते हैं। मैं सकझता हूं कि अगर हमें यह दुखद स्थिति दूर करनी है तो हम को इस की ओर ध्यान देकर फैसला करना ही होगा। लिन्विस्टिक स्टेट्स का सवाल महाराष्ट्र ने पहले नही उठाया था। पहले तो आंध्र की मांग हुई और उसके बाद कन्नड़-भाषियों ने मांग की उस के बाद हम लोगों ने मांग की। कन्नड़-भाषियों ने कोई गलत काम किया, यह मैं नहीं मानता। वह लोग कई जगहों में बंटे हुए थे, इस लिये उन्होंने मांग की। हमारे श्री डी० आर० गाडगिल, जो ब्लैनिंग कमिशन के० डे० चेअरमैन है।

SHRI J. MOHAMED IMAM (Chitradurga) : Sir, can he go into the merits of the question ? A calling-attention is meant for eliciting information. If we want to say all that, let it come in the form of a special motion.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : आप बोलते हैं तब हम कभी टोकते हैं ? आप गर्मी क्यों लाते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : हमें कोई हल निकालना चाहियें।

SHRI RAJASEKHARAN (Kanakapura) : Allow a discussion of this matter.

SHRI J. MOHAMED IMAM : Calling-attention means, he wants to know what is the proposal.

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि इस पर मिनिस्टर का स्टेटमेंट होने के बाद बजाय इस के कि डिवेट हो आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन हाउस में बावजूद इतने दिन रहने के...

श्री एस०एम० जोशी : मैं वही कर रहा हूं। हम लोगों ने शुरू में सुझाव दिया था कि इस के लिये कोई सर्वदेशीय नीति होनी चाहिये। मैं नहीं कहता कि महाराष्ट्र के लिये ही कोई नीति हो। जहां भी सीमा झगड़ा हो उस के निपटारे के लिये कोई सिद्धान्त मान लिया जाय और वही सब जगह लागू हो। हम लोगों ने यह कहा था कि श्री डी० आर० गाडगिल ने जो फार्मूला दिया था, जो कि पाटस्कर फर्मूला के नाम से प्रसिद्ध है उस में यह कहा गया था कि ग्राम को यूनिट मान कर उस की भौगोलिक सन्लग्नता—जिआग्रफिकल कंटिगुइटी—और भाषिक बहुलता के आधार पर बार्डर डिस्प्यूट का हल निकालना चाहिये।

SHRI J. MOHAMED IMAM : They want to put pressure not only here but also in Bombay through their Siva Sena. We cannot be cowed down by this.

श्री एस० एम० जोशी : हम लोग कह रहे हैं कि यह प्रिंसिपल होना चाहिये, हम लोगों को हक होना चाहिये और कुछ करने का।

SHRI RAJASEKHARAN : All these things have been put before the Commission from time to time.

श्री एस. एम. जोशी : एक बात और देखनी चाहिये। जब श्री नगर में नैशल इंटेग्रेशन कांफरेंस हुई थी तब मेरे मित्र श्री एन जी गोरे इस से सम्बन्धित समिति के सभापति थे। उसकी जो यूननिमस रिपोर्ट थी उस के कुछ तत्व थे (व्यवधान) में गृह मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उस वक्त यह नहीं कहा गया था कि इस चीज को हम कबूल करेंगे ? और उस के अगले दिन जब चीफ मिस्टिर, मैसूर ने इस पर आपत्ति उचाई तो प्रधान मंत्री ने कहा कि यह नहीं हो सकता। जब इस तरह की अड़ंगेबाजी की जायेगी तब क्या कोई काम हम कर पायेंगे ? मैं जाकारी चाहता हूं कि श्री नगर की मीटिंग में उपसमिति में हम में इस पर विचार कर कोई सुझाव रखा था या नहीं ?

SHRI J. MOHAMED IMAM : Sir, I rise on a point of order.

MR. SPEAKER : He is coming to the question now.

SHRI RAJASEKHARAN : Is it a discussion ? It is a debate, a chance has to be given to us also.

SHRI LOBO PRABHU. (Udipi) : It cannot be tolerated.

SHRI J. MOHAMED IMAM : The purpose of the calling-attention is to elicit certain information as to what the proposals of the Prime Minister were which she sent to Mysore.

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central) : There is no point of order.

SHRI RAJASEKHARAN : It is for the Speaker to decide. Are you the Speaker ?

SHRI J. MOHAMED IMAM : He is going into the merit of the question. If he is to go into the merits of the question, you must give a chance to us too. Let him only try the facts ; otherwise, other people are put at a disadvantage.

MR. SPEAKER : Your point of order is also becoming a debate.

Mr. Joshi, I have brought it to the notice of the House so many times that while speaking on the Call Attention, after the Minister has made the statement, there should no preamble, no introduction and no speech except the straightforward question for eliciting clarification. Yoy have made a regular debate out of it. I would request you to come out with a straight question.

श्री एस० एम० जोशी : अन्त में इन्होंने लिखा है :

"Government Intend to continue their efforts"

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये तत्व कबूल नहीं हुए थे और अगर हुए थे तो उन से मुकर क्या गए हैं और क्या इसलिए मुकर गए कि मैसूर के चीफ मिनिस्टर ने आपत्ति उठाई थी।

आप कहते हैं कि एफर्टस आप कर रहे हैं क्या उसमें बेलगांव के डिवीजन का प्रोपजल हैं ? अगर हैं तो वह प्रयोजल सदन को बताया जायगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह ठीक है कि यह प्रश्न बहुत दिनों से हमारे सामने है। 1954 में पहली बार जोनल कांउसिल में इसको उठाया गया था यह प्रश्न जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, फिर उठाया गया। हम सब जानते हैं कि सीमा के दोनों ओर किस प्रकार से भावनायें उमड़ीं इस प्रश्न के कारण। यह भी माननीय सदस्यों को मालूम है कि कई तरह के प्रयत्न भी इसको हल करने के लिए किये गए हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के स्तर पर। कांग्रेस विकग कमेटी ने भी कुछ प्रस्ताव पास किये थे। ज्यूडिशल कमिशन भी इसके बारे में बिठाये गये। इस प्रश्न का एक लम्बा इतिहास है। मैं नहीं कहता हूं कि देर नहीं हुई। देर हुई है। पर इस प्रश्न की जटिलता भी माननीय सदस्यों से छिपी हुई नहीं है। इसका दिग्दर्शन भी माननीय सदस्य के सवाल से हो गया है।

सवाल यह है कि.....

श्री नाथपाई (राजापुर) : सिद्धान्त कोई लागू करो, कोई जटिलता नहीं है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : सिद्धान्त के बारे में भी जटिलता है।

श्री नाथपाई : क्या है, क्यों है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस पर बहुत लम्बी चौड़ी बहस हो तो जाया जा सकता है। नाथपाई जी भी इसको जानते हैं।

ऐसे क्षेत्र को हमें तोड़ना है ताकि कम से कम मतभेद हों और ज्यादा से ज्यादा समझौता हो। उस क्षेत्र को तोड़ने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमें पता है कि इसमें पूरी तरह से समझौता नहीं हो सकता है या पूरी तरह मतभेद दूर नहीं हो सकते है। श्रीनगर की मीटिंग ने जो कुछ कहा और उसके बाद मुख्य मंत्रियों से हमारी जो बातें हुई, उस सब को देखते हुए इन सब चीजों को लेकर एक हल ढूंढ़ निकालेंगे, इसकी हमें उम्मीद है।

अब यह सवाल पूछा गया है कि हमने क्या प्रोपोजल्ज दी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि क्योंकि इसके बारे में अभी कोई निश्चित रूप से मतैक्य नहीं हुआ है कोई निश्चित मत नहीं बन पाया है, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा कि क्या हमारी प्रोपोजल्ज थीं।

एक माननीय सदस्य : बताने में आपत्ति क्या है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इसके बारे में अभी कोई निश्चित मत नहीं बन पाया है। हमने इस प्रश्न को सक्रिय रूप से अपने हाथ में लिया है और हम आशा करते हैं कि हम जल्दी ही इसका कुछ हल ढूंढ सकेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मंत्री महोदय छिपाना चाहते हैं कि प्रस्ताव उन्होंने क्या रखे हैं ? क्या उनका यह कहना है कि प्रस्ताव बताना जनहित में नहीं है ? आप इनको मजबूर करिये कि ये प्रस्ताव बतायें और सदन को विश्वास में लें ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मजबूरी का कोई सवाल नहीं है। प्रस्तावों के बारे में अभी विचार विमर्श चल रहा है।

श्री रवि राय (पुरी) : प्रस्ताव क्या थे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : प्रस्ताव सदन के सामने रखना जनहित में नहीं है।

DR. RAM SUBHAG SINGH (Buxar) The proposal was sent by the Prime Minister to the Chief Ministers of Maharashtra and Mysore. They were rejected. That should, therefore, be placed on the Table of the House.

श्री मधु लिमये : वह कहते हैं कि जनहित से नहीं है। प्रस्ताव यहां रखना। इस पर मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरे प्वाइंट आफ आर्डर पर आप फैसला दीजिये। क्या मंत्री महोदय को अधिकार है कि वह सदन को अधिकार में रखें ? जो बात मुख्य मंत्रियों को बताई गई, देश में सब जगह अखबारों में मानचित्र छपे हैं, नकशे छपे हैं, उसको लेकर मंत्री महोदय कहते हैं कि हम बतायेंगे नहीं। क्या वह जनहित का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं ?

श्री मधु लिमये : एक अर्से से मैं इसको उठा रहा हूं। इन्होंने पहले यह नहीं कहा कि सुझावों को प्रकट करना सार्वजनिक हित में नहीं है। यह उनके मुंह से बाद में निकला है। अटल जी ने जब कहा तब उन्होंने इसको कहा। कोई भी जब मंत्री से सवाल पूछा जाता है तो वह उसका जवाब देने से इन्कार नहीं कर सकते हैं। दो कारणों से ही इन्कार कर सकते हैं। एक यह कि सार्वजनिक हित में नहीं या कोई आफिशल सीक्रिट वगैरह की बात है। ये दोनों बातें इसमें नहीं हैं। जनहित वाली बात इन्होंने बाद में जोड़ी है। इसलिए आप इनको निर्देश दें कि जो सुझाव महाराष्ट्र सरकार और मैसूर सरकार को भेजे गये थे उसकी एक प्रतिलिपि ये सदन की मेज पर रखें।

MR. SPEAKER : Your point of order is that when the Minister said that it is an official secret and it is not in public interest to disclose it ..

AN HON. MEMBER : It is an afterthought.

श्री मधु लिमये : यह उन्होंने पहले नहीं कहा। बाद में कहा।

MR. SPEAKER : Will you please let me explain ? I am asking the Minister to tell me the position in the light of the point of order raised.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : There is no question of my saying about this whether it is in public interest to disclose them or not until a question was raised here. When Mr. Joshi raised this question, I said it is not in public interest to disclose the proposals. Now the proposals are under study and, therefore, it would not be in the public interest to disclose them. Unless the question arises, how am I expected to say that it is not in public interest to disclose them ?

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kendrapara) : The very question is about the proposals. In the beginning he could have said, 'In the public interest I cannot disclose them'. The whole question is about that. He cannot say that now.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : जो सुझाव इन्होंने भेजे, वे केवल मुख्य मंत्रियों तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने अपने अपने सहयोगियों की बैठकें बुलाईं और वहां यह कहा

कि भारत सरकार की ओर से ये प्रस्ताव हमारे पास आए हैं और उसी आधार पर उन प्रस्तावों की कुछ कुछ छाया समाचारपत्रों में भी आ चुकी है। इतने आदमियों को पता लग जाये और संसद जो कि इस देश का प्रतिनिधित्व करती है, अन्धकार में रहे तो यह बात कहां तक सही है ? मेरा निवेदन है कि आप मंत्री महोदय को कहें कि जो प्रस्ताव भेजे गये हैं, उनको वह सदन की टेबल पर रखें ताकि संसद उनसे परिचित हो सके।

श्री मधु लिमये : बम्बई विधान सभा के नेताओं को बता दिया गया है कि क्या सुझाव हैं। क्या संसद का आप इस तरह से अपमान कर सकते हैं ?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : I move that a copy of the proposals be laid on the Table of the House.

श्री रवि राय : मैं इसका समर्थन करता हूँ।

MR. SPEAKER : A calling attention is going on. Mr. Madhu Limaye, will you please sit down. Some matters are pending before the House. A calling attention discussion is going on. I have called the first member. Still there are four more members to speak. In between a resolution comes. How can it arise now ?

SHRI SURENDRA NATH DWIVEDY: This is a matter of principle. He is taking protection under a Rule. You have to use your discretion whether to permit it or not.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप उन चार सदस्यों को बुलाने के बाद हमारा मोशन ले लीजिए। हम इस सवाल पर हाउस को डिवाइड करना चाहते हैं।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैं आप का रूलिंग चाहता हूँ।

MR. SPEAKER : So far as this Resolution is concerned, how can it come unless this item is disposed of ?

SHRI BAL RAJ MADHOK : (South Delhi) : You admitted.

DR. RAM SUBHAG SINGH : It has not been properly replied to. Therefore this resolution can be moved.

MR. SPEAKER : Certain points have been raised on the proposal that they are not in the public interest to be disclosed or any other plea you have taken.

SHRI M. L. SONDHI (New Delhi) : That is rubbish. (*Interruption*) That is used on many occassions, it was used at the time of Indraprastha episode discussion.

MR. SPEAKER : Can you satisfy me either here or in my chamber how far this public interest is served ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Yes, I shall do it, Sir.

SHRI BAL RAJ MADHOK : You have admitted Calling Attention under your discretion. That is under your discretion. Please read the wording of the Calling Attention Motion. Can there be any answer to that Calling Attention Motion without revealing what the proposal is. There can be no Calling Attention Motion if the proposals are not to be made to this House. My submission is this, that there can be no answer to this Motion unless he reveals the proposal.

MR. SPEAKER : To the Minister I put a specific question. Can you satisfy me on this here or in my chamber ? If he can satisfy I shall accept his plea.

श्री एस० एम० जोशी : मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : आप के सवाल का जवाब नहीं आया है, इसी पर तो सारा झगड़ा हो रहा है।

SHRI N. K. SANGHI (Jodhpur) : Much heat has already been generated in the House. But the heat generated here is comparatively nothing compared to what heat today is being generated in the City of Bombay. The morning papers give a very serious news that police have been posted at various places. The Central Reserve Police has been posted at almost all the important centres in Greater Bombay. This is what the condition is there today. The matter of solution of border disputes on linguistic basis have created a challenge to the unity of the country. It really makes no difference whether some portion goes here or there; but this matter is generating so much trouble and this is to be taken serious note of by the Government so many Sonas are being raised, bandhs are being organised and the very life of people is being jeopardised. I would like to ask the Minister if any points of reference were given to the Mahajan Commission ?

My second point is if Mr. Bandodkar, the Chief Minister of Goa met the Prime Minister on 27th January in Delhi. He had submitted a proposal for the inclusion of Ramghat and Londha area in the district of Goa. The proposal was that Goa might be made into a bigger state territory. (*Interruption*)

MR. SPEAKER : The question is about border disputes between Mysore and Maharashtra. Goa does not come here.

SHRI N. K. SANGHI : Goa comes in this. They are part of it ; they are interlinked. We should go into this entire question. Much passions are roused and heat generated and I would like to know from the Government whether the Government would give up this policy of deciding border disputes on linguistic basis and take up such matters to be decided on the basis of contiguity, cultural affiliations and administrative convenience. May I know the Minister's answer to these questions ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : So far as Mahajan Commission report is concerned, this is a public document which has been published and it is known to the hon. Member. I need not reveal all that. As far as the question about the Chief Minister of Goa making some proposal is concerned I am not aware of this. This really does not pertain to the question which is now the subject of matter of discussion. About the other points mentioned by the hon. Member, all these points are being taken into consideration, apart from the question of language, whom we decide the matter.

श्री एस० एम० जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। मैंने पूछा था कि नैशनल इन्टेग्रेशन कौंसिल की सब-कमेटी ने कुछ सिद्धान्तों को लेकर जो सुझाव दिये थे, पहले उनको इन सब लोगों ने मान लिया, लेकिन दूसरे रोज़ मुकर गये, वे सुझाव क्या थे और ये लोग उन से क्यों मुकर गये ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैंने कहा है कि नैशनल इन्टेग्रेशन कौंसिल ने भी इस प्रश्न पर विचार किया और गाइडलाइन्ज़ बताईं। वे भी हमारे ध्यान में हैं। मुकरने का सवाल नहीं उठता है।

श्री नाथ पाई : उनको कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया ?

SHRI S. M. JOSHI's. Question is very pertinent. The National Integration Council was called in session because of the developing strains on the unity of the nation. One of the causes is the failure of the Union Government to resolve inter-State disputes. These disputes vitiate inter-State relations and cause great straing on the unity of the nation. Therefore, the National Integration Council suggested certain specific principles, the acceptance of which, it was hoped, would lead to a solution. Why did Government resile from implementing the recommendations of the Council in solving the question ?

MR. SPEAKER : The hon. Minister has said that those guidelines are being considered along with other factors also,

SHRI NATH PAI : You are seeing more meaning in it than what we have been able to see.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : The question which he had asked was a bigger and larger question.

SHRI MADHU LIMAYA : That was my question.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : So far as this particular matter of the Maharashtra-Mysore boundary adjustment is concerned, the guidances provided by the National Integration Council will be taken into account while deciding this question. That was what I said.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह बिना सिद्धान्त निश्चित किये कमीशनों का निर्माण करने, कमीशनों की रपट आने पर उसको फैंक देने और फिर एडजस्टमेंट की बात करने की पुरानी खराब आदत कब छोड़ेंगे। क्या सरकार मैसूर और महाराष्ट्र के सीमा-विवाद के बारे में बहुत जल्दी इन दोनों सरकारों से बात करने के पश्चात् अपना ठोस प्रस्ताव हम लोगों के सामने रखेगी और उसके लिए इस सदन के विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलायेगी ? सरकार अपना दिमाग बनाती नहीं है, कोई प्रोपोज़ल रखती नहीं है और मीटिंग बुलाती है। (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : क्या माननीय सदस्य उसमें आयेंगे ?

श्री मधु लिमये : अगर सरकार कोई ठोस प्रोपोज़ल लायेगी, तो। वर्ना हम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ, मैसूर और महाराष्ट्र को एक दूसरे के खिलाफ, लड़ाने के उद्देश्य से बुलाई गई मीटिंग में हम नहीं आ सकते हैं। क्या मंत्री महोदय कुछ निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर सुझाव लेकर आयेंगे और फिर हम लोगों से मश्वरा करेंगे ? मेरा खयाल है कि ऐसा करने पर इस सदन के विभिन्न नेता इस झगड़े की बुनियाद के बारे में अपने सुझाव दे सकते हैं। लेकिन सरकार को चंडीगढ़ के मामले की तरह नहीं करना चाहिए। सरकार ने उसके बारे में मीटिंग बुलाई और...

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : माननीय सदस्य उसमें नहीं आये। ये सब लोग नहीं आये। (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : माननीय सदस्य तो ऐसे कह रहे हैं मानों अगर हम मीटिंग में आ जाते, तो चंडीगढ़ उनको मिल जाता। (**व्यवधान**)

श्री मधु लिमये : मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। मेघालय और चंडीगढ़ आदि के बारे में सरकार की तरफ से किन्हीं निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर कोई ठोस सुझाव नहीं दिये गये। चंडीगढ़ सम्बन्धी बैठक में कहा गया कि संत फतेहसिंह धमकी दे रहे हैं, मैं उनके सामने घुटने नहीं टेकूंगी। फिर क्या हुआ ? साष्टांग प्रणाम ! यह क्या तरीका है ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार सिद्धान्तों के आधार पर सुझाव लेकर आये। जो विवाद का क्षेत्र रहेगा, उस को सिद्धान्तों की रोशनी में हल करने के काम में, मेरा ख्याल है, इस सदन के विभिन्न नेता मदद कर सकते हैं।

लेकिन सरकार चालाकी न करे। मैसूर महाराष्ट्र को भी न लड़ाए, विभिन्न दलों को भी न लड़ाए। क्या इसके लिए वह तैयार हैं, इसके बारे में वह सोचेंगे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, यह बात मैंने अपने जवाब में कही थी कि कुछ प्राविजनल प्रस्ताव हैं उनके आधार पर ही इस वक्त हमारी बातचीत मुख्य मंत्रियों से चल

[श्री विद्या चरण शुक्ल]

रही है, उन प्रस्तावों को क्योंकि अभी कोई आखीरी शेप नहीं दी गई है इसलिए अभी उस के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। जहां तक विभिन्न राजनीतिक दलों का जो कि इस ससद में हैं और उनके नेताओं का सवाल है, उनका सहयोग और उनकी राय हम लोग हमेशा लिया करते हैं और उसका हम मूल्य भी करते हैं। इस प्रस्ताव पर भी हम उन का सहयोग मागेंगे, उनकी राय मागेंगे और फिर उसके ऊपर ध्यान देकर फिर इसका निर्णय करेंगे।

श्री मधु लिमये : मैंने यह सवाल नहीं उठाया। मैंने यह कहा था कि क्या कोई ठोस सिद्धांत के आधार पर प्रस्ताव लेकर आएंगे। पहले राय मागेंगे और फिर मनमानी करेंगे यह नहीं चलेगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जो हमारा प्रस्ताव है उस पर हम सोच विचार करके और फिर उनसे पूछताछ भी करेंगे। और उसमें जो चीज रहेगी···(**व्यवधान**)

SHRI NATH PAI : On a point of order. Shri Madhu Limaye's question was not about being called for consultations regarding the specific proposals. His question was whether Government would decide upon some basic principles and call the leaders af the Opposition parts for discussion regarding them, and not about this village or that village or this city or that city. The hon. Minister of State in the Ministry of Home Affairs must be better informed. Government once tried, and a meeting was called on the 19th December, 1967 only to evolve the principles: but Government never followed it. It think Shri Ranga was there, and my other hon. friend opposite was also there. May I know whether Government will call such a meeting, not to indulge in bargaining and horse-trading, but to define principles to resolve all inter-State disputes in the country ?

SHRI RANDHIR SINGH : Including Chandigarh.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : He was not asking about all boundary disputes, but he was referring only to this dispute.

श्री मधु लिमये : सिद्धांतों के आधार पर मैंने कहा था। मैं ने तो व्यापक भूमिका में मैसूर और महाराष्ट्र के सवाल को रखा है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : तो जहां तक इस सवाल की बात है मैं ने यह कहा है कि जब सोच विचार के बाद इस मामले में हमारा क्रिस्टलाइजेशन हो जायेगा उसके बाद हम माननीय नेताओं से भी इस के बारे में विचार विमर्श करेंगे। अब किस आधार पर करेंगे, किस आधार पर नहीं करेंगे यह तो हम तभी कह सकते हैं जब कि हमारा स्वयं का कोई निश्चित मत हो जाय कि हमें किस आधार पर चलना है।

श्री बलराज मधोक : मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट यहां रखा है उसमें उन्होंने कहा है :

> "On examining the Mahajan Commission's report, we came to the provisional conclusion that apart from implementing the positive recommendations of the commission are regarding the transfer of territories from one State to another, it would be necessary to make some adjustments so that the entire problem could be solved."

मैं जानना चाहता हूं इस में जो कहा गया है कि कुछ ऐडजस्टमेंट करेंगे वह ऐडजस्टमेंट्स क्या है ? महाजन कमीशन की रिपोर्ट क्या है यह हम जानते हैं। इस में उन्होंने कहा है कि पाजीटिव रेकमेंडेशन हम मानेंगे। लेकिन कुछ ऐडजस्टमेंट करना है। तो वह ऐडजस्टमेंट जिस का उल्लेख अपने स्टेटमेंट आप ने किया है क्या हैं ? क्या उनमें से यह भी है कि पंजाब की तरह एक कारीडोर उन को देना चाहते हैं जिस से गोआ को महाराष्ट्र को दिया जा सके, क्या यह सुझाव भी उस में है ?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या महाजन कमीशन की रिपोर्ट सरकार मानती है या उसको उसने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है ? अगर उसको आप मानते हैं तो फिर उसके बारे में यह और चर्चायें और उसको और आगे की जरूरत क्या है ? केन्द्र में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, मैसूर में आपकी सरकार आज नही कल तक थी। तो इतने साल तक आप सोये क्यों रहे ? और तो बड़े बड़े फैसले आप तुरंत कर लेते हैं। हमारी प्रधान मंत्री फैसले करने में बड़ी तेज समझी जाती है। तो यह फैसला तीन साल तक आप क्यों नहीं कर पाए ? महाजन कमीशन के बारे में आप का सिद्धांत क्या है, आप इसको मानते है या रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहते हैं ?

तीसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं इन कमीशनों के बारे में। आपने शाह कमीशन मुकर्रर किया पंजाब के बारे में। आप ने महाजन कमीशन मुकर्रर किया मैसूर महाराष्ट्र के बारे में और दोनों के फैसले को माना नहीं। नई समस्याएँ खड़ी की। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप को इन कमीशनों की रिपोर्टों को मानना नहीं है तो क्या आगे से इस प्रकार के कमीशन मुकर्रर नहीं करेंगे और आगे पंजाब के अन्दर एक नया कमीशन मुकर्रर कर के वहां नई समस्या खड़ी करने से परहेज करेंगे ? क्यों कि मैं जानता हूँ जो आप ने आज तक इन कमीशनों का हश्र किया वही इस नये कमीशन का भी हश्र होगा। तो अगर उन की रिपोर्ट को नहीं मानना है तो क्या वहां आप कोई नया कमीशन मुकर्रर नहीं करेंगे और पंजाब को कम से कम अपनी कृपा-दृष्टि से माफ करेंगे ?

चौथी चीज मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सवाल केवल महाराष्ट्र और मैसूर का नहीं है। यह झगड़ा मैसूर और कर्नाटक का भी है, केरल का भी है। तो इन सबके लिए एक परमानेंट ट्रिब्यूनल कोई मुकर्रर करेंगे, और उस के टर्म्स आफ रेफरेंस का कोई सिद्धांत तय करेंगे जिन के आधार पर वह ट्रिब्यूनल जब कभी इस प्रकार का कोई भी झगड़ा पैदा हो तो उस झगड़े को वह निपटाए ?

और अन्त में मैं यह पूछना चाहता हूँ कि दुर्गाग्य से आज इंडीकेट सरकार है महाराष्ट्र में और सिंडीकेट सरकार है मैसूर में और अपने इंडीकेट सिंडीकेट के झगड़े में, यह जो मैसूर महाराष्ट्र का विवाद है, उस में एक पक्ष के साथ आप अन्याय तो नहीं करेंगे जैसे उत्तर प्रदेश में किया है, और बिहार में किया है ? उस को देखते हुए न्याय की तवक्को तो आप से नहीं हो सकती। तो मैं यह आश्वासन चाहता हूँ कि इंडीकेट सिंडीकेट के झगड़े के कारण एक पक्ष के साथ आप कोई अन्याय नहीं करेंगे।

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह बात बिल्कुल साफ है कि कोई अन्याय का प्रश्न नहीं उठता। अन्याय की बात होती तो हम मैसूर के मुख्य मंत्री से बातचीत करके, वार्तालाप कर के इस तरह की बात करने की कोशिश नहीं करते। यह बात तो बिना कहे मानी जानी चाहिए कि इस में सम्पूर्ण ढंग से एक सब से बातचीत कर के जितने न्यायपूर्ण ढंग से यह चीज हो सकती है वह करने की कोशिश हम कर रहे हैं। इसमें कोई पक्षपात या किसी के साथ अन्याय की बात नहीं है।

दूसरी बात—महाजन कमीशन की रिपोर्ट के बारे में मैं ने अपने मूल वक्तव्य में यह कहा है कि उस की जो पाजिटिव शिफारशें हैं उनको हमने मंजूर किया है। तो यह बात नहीं है कि किसी के अधिकारों पर कुठाराघात होने की बात हो। लेकिन यह बात भी कहना गलत है कि किसी कमीशन की रिपोर्ट को अपने ऊपर बाइंडिंग करके उस को पूरी तरह से हम मंजूर कर लें। सरकार को तो संसद के सामने जवाब

[श्री विद्या चरण शुक्ल]

देना पड़ता है। तो उसको तो अपनी विवेक बुद्धि लगाकर यह तय करना पड़ेगा कि कौन सी बात मानी जा सकती है और कौन सी बात नहीं मानी जा सकती है। जिस को हम ठीक समझते हैं और जिस को यहां हम सिद्ध कर सकते हैं उसको मानेंगे और जिस को हम ठीक नही समझते हैं उसको हम कैसे मान सकते हैं? क्योंकि इसमें तो कोई सवाल ही नही है कि जो कुछ भी कमीशन ने कहा है उस को पूरी तरह से बिना सोचे समझे हुए मान लें।

उसी तरह से आप ने कहा कि वह ऐडजस्टमेंट क्या हैं। तो वही तो प्रोपोजल्स हैं जिन को टैंटेटिव बना रखा है उस के बारे में बातचीत हो रही है। उस के ऊपर कोई निश्चिय अभी नहीं हुआ है। उस पर उनके विचार ले रहे हैं। अखबारों में जो छपा है वह कोई आवश्यक नहीं है कि वह सब सही हो। अखबारों में तो बहुत सी चीजें छप जाया करती हैं जिन के बारे में वह अपना गैस करके छाप देते हैं। मैं नहीं कहता कि जो छपा है वह गलत है या सही है। इसलिए इस समय यह कहना संभव नहीं है कि क्या ऐडजस्टमेंट हम करना चाहते हैं।

श्री बलराज मधोक : परमानेंट ट्रिब्यूनल के बारे में मैं ने पूछा था।

श्री विद्याचरण शुक्ल: वह मधु लिमये जी के जबाव में मैं ने कहा था कि परमानेंट ट्रिब्यूनल या कोई परमानेंट मशीनरी ऐसी बनाई जाय यह बात नेशनल इंटीग्रेशन कौंसिल में कही गई थी और वही बात यहां भी दोहराई गई है...

श्री बलराज मधोक : इस के लिए कोई मशीनरी बनाने का उनका ख्याल है या नहीं यह क्लीअर जबाव वह दें।

श्री विद्या चरण शुक्ल : जबाव दे दिया है। मैं ने कहा कि निर्णय नही हुआ है।

श्री बलराज मधोक: चौथी बात मैं ने यह पूछी थी अगर फैसला खुद ही करना है तो पंजाब के अन्दर नया कमीशन क्यों मुकर्रर कर रहे हैं, उस जज को क्यों आप बीच में खराब कर रहे हैं? पंजाब के अन्दर नई आग क्यों लगाने जा रहे हैं?

श्री प्रेम चंद वर्मा (हमीरपुर) : प्वाइंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, बात यह है कि मामला है महाराष्ट्र और मैसूर का और यह सवाल ला रहे हैं पंजाब का...(**व्यवधान**)... हिमाचल प्रदेश यह चाहता है कि वह कमीशन मुकर्रर हो, यह कौन होते हैं कहने वाले कि कमीशन मुकर्रर किया जाय?...(**व्यवधान**)...

श्री बलराज मधोक : मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है कि इन कमीशन के फैसले से बचे हुए नहीं हैं, उस में क्या उचित है और क्या अनुचित है, उस का फैसला वे स्वयं करेंगे। अगर आप को पौलिटिकल डिसीजन करना है तो पंजाब में कमीशन एप्वाइन्ट कर के नई आग लगाने क्यों जा रहे हैं...(**व्यवधान**)...

MR. SPEAKER : The question does not arise.

SHRI E. K. NAYANAR (Palghat) : Last December we had a half-hour discussion when Shri Shukla replied that the Government had not come to a decision regarding the Mahajan Commission Report. Now he says that a portion of the report has been accepted, and the other portion has not been accepted. We do not know which portion he has accepted. Now some Karnataka M.L.As., and Jana Sangh members are raising the question that Kasergod should be incorporated in Mysore. I want to know which portion of the Mahajan Report he has accepted and which portion he has not accepted.

MR. SPEAKER : This is not a point of order. You are asking a question.

SHRI NAMBIAR (Tiruchirappalli) : Why should the Minister create confusion about Kasergod now ?

श्री रणधीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी गम्भीर बात है, जब आप कमीशन की बात को मनाते ही नहीं, तो कमीशन एप्वाइन्ट करने क्यों जा रहे हैं, बराबर कमीशन क्यों एप्वाइन्ट करते हैं। मधोक साहब की बात ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच बना दीजिये, वह ठीक होगा, हर बार कमीशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इससे तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश फिर आपस में लड़ेंगे। इसका कोई फायदा नहीं है।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Balrampur) : I have given notice of a specific motion.

MR. SPEAKER : Order, order. The calling attention motion is over. If you send that motion tomorrow, we can take it up.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : I have already given it.

MR. SPEAKER : I will put it to the House only after I see the rules...

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : It is permissible under the rules, I have seen the rules.

MR. SPEAKER : ... if there is occasion for it.

SHRI RANGA (Srikakulam) : I wish to express the hope that the procedure followed by you in calling an emergent sitting of the House at short notice of a few hours on 28th February would not be treated as a precedent, in order to safeguard in future against misuse of such special procedure under doubtful circumstances or for unpatriotic or unparliamentary purposes on the initiative or pressure or prompting of the Government. I need not say much in support of this plea of mine. I need only draw your attention and the attention of the House to several things that are happening in different parts of the country, in different legislatures, where the Governments are pursuing queer policies. Supposing a constitutional amendment comes up for discussion and such procedure were followed and Members are called in at such short notice you can easily imagine what might be the consequence. Similarly, supposing a no-confidence motion is given notice of and a time is fixed. Now, some legislatures are not fixing the time at all, although within a period of seven or ten days the time has got to be fixed. When such things happen and the Speakers concerned simply accept the advice or initiative or plea advanced by the Government, and then call suddenly a special sitting of the House without giving sufficient notice to the Members, then it might be possible for them to make use of such opportunities. Therefore; I request you to assure us...

MR. SPEAKER : This matter was dealt with and I made my observations on that, and I hope it will be dropped now.

SHRI HEM BARUA : I thought the matter was discussed on 28th. How is it proper now to raise it ? It is within your discretion to summon a special session of Parliament. Yon did not misuse it.

SHRI HEM BARUA : I thought it was closed on the 28th. How is it proper to raise it now ?

MR. SPEAKER : He sent it to me and I did not know what it was about.

12.55 hrs.

Re : ADJOURNMENT OF HARYANA ASSEMBLY

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : यह मामला तो उसी दिन खत्म हो गया था, अब इसको फिर से उठाने की क्या जरूरत है। उस दिन आप की तरफ से जवाब आ गया था।

अध्यक्ष महोदय : हां, यह मामला तो उसी दिन खत्म हो गया था।